



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2018/ श्रावण 2, 1940

No. 508]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2018/SHRAVANA 2, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

संख्या 18/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 692(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) अनुसूची I - 2.5% में,

(i) क्रम संख्या 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“102क	2207	एथाइल एल्कोहल, जो कि मोटर स्प्रीट (पेट्रोल) में मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आपूर्त किया गया हो”;
-------	------	---

(ii) क्रम संख्या 123 में, कॉलम (2) और कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“2515 (2515 12 10, 2515 12 20,	एकाउसिन और अन्य केलकेरियस संस्मारकीय या निर्माणी प्रस्तर; एलबास्टर [संगमरमर और ट्रेवर्टाईन से भिन्न], दर्पण के सदृश
-----------------------------------	--

2515 12 90 को छोड़कर) या 6802	तराशे गए पत्थर जो कि प्रयोग किए जाने के लिए तैयार हैं से भिन्न”;
-------------------------------	--

- (iii) क्रम संख्या 170 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“170क	2809	उर्वरक ग्रेड के फास्फोरिक एसिड”;
-------	------	----------------------------------

- (iv) क्रम संख्या 215 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “, जिसमें कोयर पिथ कम्पोस्ट जो कि यूनिट कंटेनर में बंद हों और जिनका ब्रांड नेम हो भी आते हैं” को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 219 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “कोयर मेट्स, मैटिंग, फ्लोर कवरिंग और हैंडलूम दरिया”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 219क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “सभी वस्तुएं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 222 में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“61 या 6501 या 6505	परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन या कैप/टोपी जो बुने हुए या क्रोशियाकृत हैं, जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक नहीं है,
---------------------	--

- (viii) क्रम संख्या 225 में, कॉलम (3) में अंक “500” के स्थान पर अंक “1000” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 264 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “बायोमास ब्रिक्क्यूटीस या ठोस बायो फ्यूल पेलेट्स”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची II में-6%, -

- (i) क्रम संख्या 57ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“96क	4409	बम्बू फ्लोरिंग”;
------	------	------------------

- (iii) क्रम संख्या 146 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द “अनुसूची I में 219 में आने वाले मदों को छोड़कर”, को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 147 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 185 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“185क	7419 99 30	ब्रास केरोसिन प्रेशर स्टोव”;
-------	------------	------------------------------

- (vi) क्रम संख्या 195क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“195क	8420	हस्त चालित रबर रोलर
195कक	8424	स्प्रिंकलर या बूँद-बूँद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) उपकरणों के लिए नोज़ल”;

- (vii) क्रम संख्या 206 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"206क	87	फ्यूल सेल मोटर व्हीकल्स";
-------	----	---------------------------

- (viii) क्रम संख्या 231क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"231ख	9607	स्लाइड फास्टनर्स";
-------	------	--------------------

- (ix) क्रम संख्या 235 में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"9619 00 30, 9619 00 40 या 9619 00 90	सभी वस्तुएं";
--	---------------

(ग) अनुसूची III में-9%, -

- (i) क्रम संख्या 25 में, कॉलम (3) में शब्द, "किसी भी प्रबलता के", के पश्चात, कोष्ठक और शब्द "[मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) में मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आपूर्ति किए जाने वाले इथाइल अल्कोहल से भिन्न]" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"52क	3208	पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल और लेकर हैं] जो संप्लिशट बहुलक या रसायनिक रूप में उपांतरित प्राकृतिक बहुलक पर आधारित हैं और जो अजलीय माध्यम परिक्षेपित या विलीन हैं; इस अध्याय के टिप्पण 4 में यथापरिभाषित
52ख	3209	पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल और लेकर हैं] जो संप्लिशट बहुलक या रसायनिक रूप में उपांतरित प्राकृतिक बहुलक पर आधारित हैं और जो अजलीय माध्यम परिक्षेपित या विलीन हैं
52ग	3210	अन्य पेंट और वार्निश [जिनके अंतर्गत इनेमल, लेकर और डिस्टेंपर हैं]; इस प्रकार के निर्मित जल वर्णक, जिनका उपयोग चमड़े की परिसज्जा के लिए किया जाता है";

- (iii) क्रम संख्या 54क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"54ख	3214	ग्लैजियर पुट्टी, प्ररोपण पुट्टी, रेसिन सीमेंट, संधिरोधी योगिक और अन्य मैस्टिक; पेंटर भरक, भवन मुखों, भीतरी दिवारों, अंतस्त्रद्धों या वैसी ही वस्तुओं के लिए अन्य-उच्चताप सह पृष्ठन निर्मितियां";
------	------	--

- (iv) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) में, शब्द, "या अंत में जुड़े" के स्थान पर कोष्ठक और शब्द, "[बम्बू फ्लोरिंग से भिन्न]" को जोड़ा जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 177 ड. में, कॉलम (3) में, शब्द, “अनुसूची I में, क्रम संख्या 123 में आने वाले मदों को छोड़कर”, को अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 253 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “तांबे की बनी अन्य वस्तुएं [ब्रास केरोसिन प्रेशर स्टोव से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 319 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“319क	8418	प्रशीतित, हिमित्र और प्रशीतन या हिमकरण उपस्क्र, बिजली से चलने वाले या अन्यम; ताप पंप, शीर्ष” 8415 की वातानुकूलन मशीनों से भिन्नक”;
-------	------	--

- (viii) क्रम संख्या 321 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “कैलेंडरिंग या अन्य रोलिंग मशीन, इनसे भिन्न जो धातु या कांच से बने हों, और उनके सिलेंडर [हस्तचालित रबर रोलर से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 341 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“341क	8450	घरेलू या लॉन्ड्री प्रकार की धावन मशीनें, जिनके अंतर्गत वे मशीनें भी हैं, जो धावन और शुष्कन दोनों कार्य करती हैं”;
-------	------	---

- (x) क्रम संख्या 376क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“376कक	8507 60 00	लिथियम-ऑयन बैट्रीज
376कख	8508	वैक्यूम क्लीनर्स
376कग	8509	विद्युत यांत्रिकी, घरेलू साधित्र, स्वतः पूर्ण विद्युत मोटर सहित, शीर्ष 8508 के निर्वात निर्मलित्रों से भिन्न, [वैट ग्राइंडर जिसमें पत्थर के ग्राइंडर लगे हों से भिन्न]
376कघ	8510	शेवर, केशप्रकर्तित्र और बाल सफाई साधित्र, स्वतःपूर्ण विद्युत मोटर सहित”;

- (xi) क्रम संख्या 378 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“378क	8516	विद्युत तात्क्षणिक या भंडारण जल तापित्र और निमज्जनन तापित्र विद्युत स्पेस तापन उपकरण और मृदा तापन उपकरण ; विद्युत तापीय केश प्रसाधन उपकरण (उदाहरणार्थ केश शुष्किकृत, केशवलयित्र, वलीयन टांग तापित्र) और हस्त शुष्कित्र; विद्युत मस्त्रण इस्त्री; इसी प्रकार के अन्य तापीय साधित्र जिनका उपयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है, विद्युत तापमान प्रतिरोधित्र, उनसे भिन्नत, जो शीर्ष 8545 के अंतर्गत आते हैं।”;
-------	------	--

- (xii) क्रम संख्या 383ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“383ग	8528	टेलीविजन सेट (एलसीडी या एलईडी टेलीविजन समेत) जिनकी स्क्रीन का आकार 68 सेंटीमीटर से अधिक न हो” ;
-------	------	---

- (xiii) क्रम संख्या 401 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“401क	8705	विशिष्ट प्रयोजन मोटरयान उनसे भिन्न जो प्रधानता व्यक्तियों या माल के परिवहन के लिए अभिकल्पित हैं (उदारहरणार्थ ब्रेकडाउन लारियों, क्रेन, लारियों, अग्नि संबंधी यान, कंक्रीट मिक्सर लारियां, सड़क झाड़न लारियां, फुहारन लारियां, चल कर्मशालाएं, चल विकिरण यूनितें)”;
-------	------	---

- (xiv) क्रम संख्या 402 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“402क	8709	इस प्रकार के स्वतः नोदित संकर्म ट्रक, जिनमें उत्कलर्षण या हस्त न उपस्कर फिट नहीं हैं, जिनका उपयोग कारखानों, भांडागारों, डाकक्षेत्रों या विमानपत्तनों में माल के कम दूरी के परिवहन के लिए किया जाता है, इस प्रकार के ट्रैक्टरों, जिनका उपयोग रेल स्टेशन प्लेकटफार्मों पर किया जाता है, पूर्वगामी यानों के पुर्जे”;
-------	------	---

- (xv) क्रम संख्या 403 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“403क	8716	अनुयान या सेमी अनुयान, अन्य यान जो यंत्र नोदित नहीं हैं; उनके पुर्जे (कृषि प्रयोजनों के लिए स्वतः लदाई या स्वतः उतराई अनुयान और हस्त नोदित यान से भिन्न) (अर्थात् हस्तयकाट्स और वैसे ही यान) ; पशु द्वारा खींचे जाने वाले यान”;
-------	------	---

- (xvi) क्रम संख्या 446 में, कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“9607 20 00	स्लाइड फास्टनर्स के पार्ट्स”;
-------------	-------------------------------

- (xvii) क्रम संख्या 449क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“449कक	9616	इत्र फुहार और वैसे ही प्रसाधन फुहार और उनके धारक तथा शीर्ष, श्रृंगार या प्रसाधन निर्मितियों के उपयोग के लिए पाउडर-पफ और पैड”;
--------	------	---

(घ) अनुसूची -IV में-14%,-

- (i) क्रम संख्या 20, 21, 22 और 24 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 120 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 130 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

- (iv) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “विद्युत संचायक, जिसके अंतर्गत उसके पृथक्त्र भी हैं, चाहे वे आयताकार (जिसके अंतर्गत वर्गाकार भी है) है या नहीं जो लिथियम आयन बैटरी से पृथक् हों” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 140, 141, और 142 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 154 में, कोष्ठक, शब्द और अंक “[उन कम्प्यूटर मॉनीटर से भिन्न जो 20 इंच से अधिक न हों और टेलीविजन के सेट टॉप बॉक्स से भिन्न]”, के स्थान पर कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर “[उन कम्प्यूटर मॉनीटर जो 20 इंच से अधिक न हों, टेलीविजन के सेट टॉप बॉक्स और टेलीविजन सेट्स (जिनमें एलसीडी और एलईडी टेलीविजन आते हैं) जिनके स्क्रीन का आकार 68 सेंटीमीटर से अधिक न हो से पृथक्” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 167 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 175 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी।

[फा. सं. 354/255/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 6/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 80(अ) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

No. 18/2018-Central Tax (Rate)

G.S.R. 692(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule I - 2.5%,

- (i) after S. No. 102 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“102 A	2207	Ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies for blending with motor spirit (petrol)”;
--------	------	---

- (ii) in S. No. 123, for entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“2515 (Except 2515 12 10, 2515 12 20, 2515 12 90) or 6802	Ecaussine and other calcareous monumental or building stone alabaster [other than marble and travertine], other than mirror polished stone which is ready to use”;
---	--

- (iii) after S. No. 170 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“170A	2809	Fertilizer grade phosphoric acid”;
-------	------	------------------------------------

- (iv) in S. No. 215, in the entry in column (3), the comma and words “, including coir pith compost put up in unit container and bearing a brand name” shall be inserted at the end;
(v) in S. No. 219, for the entry in column (3), the entry “Coir mats, matting, floor covering and handloom durries”, shall be substituted;
(vi) in S. No. 219A, for the entry in column (3), the entry “all goods” shall be substituted;
(vii) in S. No. 222, for entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“61 or 6501 or 6505	Article of apparel and clothing accessories or cap/topi, knitted or crocheted, of sale value not exceeding Rs 1000 per piece”;
---------------------	--

- (viii) in S. No. 225, in column (3), for the figure “500” the figure “1000” shall be substituted;
(ix) in S. No. 264, for the entry in column (3), the entry “Biomass briquettes or solid bio fuel pellets”, shall be substituted;

(B) in Schedule II-6%, -

- (i) S. No. 57B and the entries relating thereto shall be omitted;
(ii) after S. No. 96 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“96A	4409	Bamboo flooring”;
------	------	-------------------

- (iii) in S. No. 146, in the entry in column (3), the words “except the items covered in 219 in Schedule I”, shall be inserted at the end;
(iv) S. No. 147 and the entries relating thereto shall be omitted;
(v) after S. No. 185 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“185A	7419 99 30	Brass Kerosene Pressure Stove”;
-------	------------	---------------------------------

- (vi) for S. No. 195A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely: -

“195A	8420	Hand operated rubber roller
195AA	8424	Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers”;

- (vii) after S. No. 206 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“206A	87	Fuel Cell Motor Vehicles ”;
-------	----	-----------------------------

- (viii) after S. No. 231A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"231B	9607	Slide fasteners";
-------	------	-------------------

- (ix) in S. No. 235, for entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

"9619 00 30, 9619 00 40, or 9619 00 90	All goods";
---	-------------

(C) in Schedule III - 9%, -

- (i) in S. No. 25, in column (3), after the words, "of any strength", the brackets and words "[other than ethyl alcohol supplied to Oil Marketing Companies for blending with motor spirit (petrol)]" shall be inserted;
- (ii) after S. No. 52 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

"52A	3208	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in Note 4 to this Chapter
52B	3209	Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium
52C	3210	Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather";

- (iii) after S. No. 54A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

"54B	3214	Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for facades, indoor walls, floors, ceilings or the like";
------	------	---

- (iv) in S. No. 137, in column (3), after the words, "or end-jointed" the brackets and words, "[other than bamboo flooring]" shall be added;
- (v) in S. No. 177E, in column (3), the words "except the items covered in Sl. No. 123 in Schedule I", shall be inserted at the end;
- (vi) in S. No. 253, for the entry in column (3), the entry "Other articles of copper [other than Brass Kerosene Pressure Stove]" shall be substituted;
- (vii) after S. No. 319 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"319A	8418	Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading 8415";
-------	------	---

- (viii) in S. No. 321, for the entry in column (3), the entry "Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor [other than Hand operated rubber roller]" shall be substituted;
- (ix) after S. No. 341 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

"341A	8450	Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry" ;
-------	------	---

- (x) after S. No. 376A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

“376AA	8507 60 00	Lithium-ion Batteries
376AB	8508	Vacuum cleaners
376AC	8509	Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 8508 [other than wet grinder consisting of stone as a grinder]
376AD	8510	Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric motor”;

- (xi) after S. No. 378 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“378A	8516	Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro thermic hair-dressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes; electric heating resistors, other than those of heading 8545” ;
-------	------	--

- (xii) after S. No. 383B and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“383C	8528	Television set (including LCD or LED television) of screen size not exceeding 68 cm” ;
-------	------	--

- (xiii) after S. No. 401 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“401A	8705	Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological unit)” ;
-------	------	--

- (xiv) after S. No. 402 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“402A	8709	Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles” ;
-------	------	--

- (xv) after S. No. 403 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“403A	8716	Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof [other than Self-loading or self-unloading trailers for agricultural purposes, and Hand propelled vehicles (e.g. hand carts, rickshaws and the like); animal drawn vehicles]” ;
-------	------	---

- (xvi) in S. No. 446, for entries in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“9607 20 00	Parts of slide fasteners”;
-------------	----------------------------

- (xvii) after S. No. 449A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“449AA	9616	Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor; powder-puffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations”;
--------	------	--

(D) in Schedule-IV-14%,

- (i) S. Nos. 20, 21, 22, 24 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ii) S. No. 120, and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (iii) S. No. 130, and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (iv) in S.No. 139, for the entry in column (3), the entry “Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square) other than Lithium-ion battery” shall be substituted;
- (v) S. Nos. 140, 141, 142 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (vi) S. No. 146 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (vii) in S. No. 154, for the brackets, words and figures “[other than computer monitors not exceeding 20 inches and set top box for television]”, the brackets, words, figures and letters “[other than computer monitors not exceeding 20 inches, set top box for television and Television set (including LCD and LED television) of screen size not exceeding 68 cm]” shall be substituted;
- (viii) S. No. 167 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ix) S. No. 171 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (x) S. No. 175 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (xi) S. No. 224 and the entries relating thereto, shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 27th July, 2018.

[F. No. 354/255/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 6/2018 Central Tax (Rate) dated 25th January, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 80 (E), dated the, 25th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

संख्या 19/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 693(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 674 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-